भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1986

उत्तर देने की तारीख : 30.07.2026

डिजिटल क्रेडिट मॉडल के तहत ऋण

1986. श्री अरुण नेहरूः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के पेरम्बलूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को डिजिटल ऋण मॉडल के अंतर्गत जिला-वार कितने ऋण स्वीकृत किए गए हैं और उनका मूल्य कितना है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान एमएसएमई समाधान पोर्टल पर विलंबित भुगतान के कितने मामले दर्ज किए गए, कितने निपटाए गए और कितने लंबित हैं और उनमें कितनी राशि शामिल है;

(ग) क्या सरकार उक्त निर्वाचन क्षेत्र में एमएसएमई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र, सांविधिक समय-सीमा और डिजिटल निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेरम्बलूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एमएसएमई समाधान पोर्टल और विलंबित भुगतान के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों के संबंध में कोई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पेरम्बलूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में नकदी में सुधार लाने और एमएसएमई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : संस्वीकृत ऋणों की संख्या और मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए, मार्च, 2025 में क्रेडिट मूल्यांकन के एक नए मॉडल की शुरुआत की गई थी और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। यह मॉडल इकोसिस्टम में उपलब्ध डिजिटल रूप से प्राप्त और सत्यापन योग्य डेटा का उपयोग करता है और एमएसएमई ऋण मूल्यांकन के लिए स्वचालित मार्ग प्रशस्त करता है। दिनांक 30.06.2026 तक, तमिलनाडु सहित देश भर के पीएसबी ने 7,20,429 आवेदन स्वीकृत किए हैं, जिनकी कुल राशि 1,04,759.75 करोड़ रुपए है।

(ख) : विगत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-वित्तीय वर्ष 2026) के दौरान एमएसएमई समाधान पोर्टल पर विलंबित भुगतान के संबंध में दायर किए गए मामलों, निपटान किए गए और लंबित मामलों तथा और इसमें सम्मिलित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2023 - वित्त वर्ष 2026) में देश भर में एमएसई द्वारा दायर किए गए आवेदन/मामले					
विवरण		**एमएसई द्वारा दायर आवेदन**	**निपटान किए गए मामले**	**लंबित**	**पारस्परिक रुप से निपटान किए गए/अस्वीकृत आवेदन**
अखिल भारत	**मामलों की संख्या**	1,19,445	15,966	60,117	43,362
	राशि (करोड़ रुपए में)	20,220.48	2,557.11	11,437.87	6,225.50

(ग) से (ङ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 15 के तहत एमएसई को 45 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य किया गया है। अधिनियम की धारा 20 में एमएसई के विलंबित भुगतान के मामलों के निपटान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) की स्थापना करने का प्रावधान है। आज की तारीख में, तमिलनाडु में 6 एमएसईएफसी सहित 161 एमएसईएफसी की स्थापना की गई है।

एमएसएमई मंत्रालय ने वस्तुओं और सेवाओं के क्रेताओं के विरुद्ध सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया के लिए शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए दिनांक 30.10.2017 को समाधान पोर्टल (http://samadhaan.msme.gov.in/MyMSME/MSEFC/ MSEFCWelcomer.aspx.) की शुरुआत की।

एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों से जुड़े विलंबित भुगतान विवादों के त्वरित, किफायती और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 27.06.2025 को ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल की शुरुआत की गई है। ओडीआर ढांचे के तहत मुकदमेबाजी से पहले, बातचीत-आधारित तंत्र की शुरुआत किए जाने से सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों द्वारा औपचारिक न्यायनिर्णयन के लिए मामला आगे बढ़ने से पहले क्रेता और विक्रेता के बीच स्वैच्छिक मध्यस्थता, सुलह या बातचीत को प्रोत्साहित करती है। एमएसई द्वारा विलंबित भुगतान के सभी नए मामलों को दिनांक 15.10.2025 से केवल एमएसएमई ओडीआर पोर्टल पर दायर करने की अनुमति है।

एमएसएमई ओडीआर/समाधान पोर्टल और एमएसई को विलंबित भुगतान के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए तमिलनाडु सहित देश में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एमएसएमई मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/उद्योग विभागों और अन्य एमएसएमई हितधारकों के साथ मिलकर कार्यशालाओं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है।

एमएसएमई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक धनराशि का कारोबार करने वाली सभी कंपनियों को आरबीआई द्वारा अधिकृत किसी भी व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेडस) प्लेटफॉर्म पर ऑन-बोर्ड करने का आदेश दिया है।

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 30.06.2026 की अधिसूचना के माध्यम से सभी सीपीएसई को आरबीआई द्वारा अधिकृत किसी भी ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से चालानों के निपटान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है।
